राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक अंक 63 जनवरी - मार्च 2018 सीमित प्रसार के लिए

राज्य में जलापूर्ति एवं सफाई की स्थिति

राजस्थान सरकार पिछले कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति के लिये राज्य बजट से राशि आवंटन करती रही है तथा वर्तमान में सरकार ने भी पेयजल को अपनी प्राथमिकता में रखा है। राज्य बजट से जलापूर्ति एवं सफाई के लिये राशि आवंटन एवं इसकी जानकारी 2215 एवं 4215 बजट शीर्ष के माध्यम से दी जाती है जिसका विस्तृत विवरण बजट पुस्तिका आय व्ययक अनुमान खण्ड 2 स एवं 3 अ में उल्लेखित किया गया है।

राज्य बजट की तुलना में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट (राशि करोड़ में)

मद / वर्ष	राज्य का बजट	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट	राज्य बजट में प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
वास्तविक (2012–13)	81263.91	2933.79	3.61 %	
वास्तविक (2013–14)	94101.08	4599.67	4.89 %	56.78
वास्तविक (2014–15)	116605.48	6565.54	5.63 %	42.74
वास्तविक (2015–16)	129736.02	6784.42	5.23 %	3.33
वास्तविक (2016–17)	139727.68	6818.87	4.88 %	0.51
अनुमानित (2017–18)	166753.90	8647.21	5.19 %	26.81
संशोधित (2017–18)	175615.12	8108.12	4.62 %	-6.23
अनुमानित (2018–19)	197274.66	8671.66	4.40 %	6.95

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर
नोट : कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

ऊपरी तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले लगभग 7 वर्षों में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट राज्य बजट की तुलना में लगभग 3.50 से 5.50 प्रतिशत के मध्य रहा है। वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई के लिये कुल 8671.66 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, जो कि राज्य के बजट का लगभग 4.40 प्रतिशत है। जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये पिछले वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में कुल 8647.19 करोड़ रू. का आवंटन तय किया गया था, जिसे इसी वर्ष के संशोधित अनुमान में लगभग 540 करोड़ कम का खर्च बताया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2017–18 के अुनमान की तुलना में संशोधित बजट में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटन को कुल राज्य बजट की तुलना में 5.19 प्रतिशत से घटाकर 4.62 प्रतिशत कर दिया है।

इसके साथ ही जलापूर्ति एवं सफाई मद में आवंटित राशि की वृद्धि दर को भी उपरोक्त सारणी के आधार पर समझा जा सकता है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित बजट में जलापूर्ति एवं सफाई के आवंटन में 6.23 प्रतिशत की गिरावट आई है तथा वर्तमान वर्ष में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.95 प्रतिशत बढ़ा है।

यदि देखा जाये तो सरकार ने वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक जलापूर्ति तथा सफाई हेतु आवंटन में निरंतर बढोत्तरी की है लेकिन 2015–16 से 2018–19 तक सरकार ने इस मद में आवंटन को नियमिति रूप से घटाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार जलापूर्ति एवं सफाई मद में प्रत्येक वर्ष के बजट अनुमानों में मोटी राशि का आवंटन करती है, लेकिन हर वर्ष संशोधित अनुमान तथा वास्तविक खर्च के आंकड़े तय अनुमानों से कम राशि के खर्च की जानकारी दर्शाते हैं, जो कि सरकार तथा संबंधित विभागों के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित बजट का वितरण (राशि करोड़ में)

वर्ष	आयोजना भिन्न	आयोजना	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
वास्तविक (2014–15)	2082.3	4483.22	6565.54
वास्तविक (2015–16)	2400.99	4383.43	6784.42
वास्तविक (2016–17)	2619.14	4199.72	6818.87

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित बजट का वितरण (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
अनुमानित (2017–18)	7581.49	1065.72	8647.21
संशोधित (2017–18)	7042.40	1065.72	8108.12
अनुमानित (2018–19)	7720.03	951.63	8671.66
प्रतिशत (%)	89.03 %	10.97 %	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर
नोट : वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार बजट में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद के विवरण के स्थान पर राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता की राशि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है।

वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई के लिये कुल 8671.66 करोड़ खर्च होना प्रस्तावित है, जिसमें से 7720.03 करोड़, लगभग 89.03 प्रतिशत राज्य निधि से तथा 981.63 करोड़ लगभग 10.97 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अंर्तगत खर्च होने प्रस्तावित हैं। पिछले वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिए कुल 8647.21 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था, इस वर्ष आवंटित कुल राशि में से 7581.48 करोड़ रू., लगभग 87.67 प्रतिशत राज्य निधि तथा 1065.72 करोड़, लगभग 12.32 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत खर्च किया जाना प्रस्तावित था।

शेष पृष्ठ 4 पर....

राज्य में महिलाओं के लिये बजट तथा जेण्डर बजट विवरण का विश्लेषण

पोषण के बजट में हुई बढ़त, जेण्डर बजट विवरण फिर निराशाजनक

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 3.2 करोड़ महिलाएं हैं जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएँ (75%) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 81 लाख महिलाएँ (25%) शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। राजस्थान का लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में 922 से बढ़कर 927 महिलाएँ प्रति 1000 पुरूष हो गया है परन्तु यह देश के लिंगानुपात की तुलना में कम है। मातृ–मृत्यु दर, कुपोषण, खून की कमी, बिमारी, बाल विवाह, लिंग अनुपात में कमी, महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति आदि महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने तथा शीघ्र सुधार की आवश्यकता है परन्तु राज्य के बजट प्रावधानों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय बहुत ही कम है और महिलाओं के विकास के प्रति सरकार का ध्यान अपर्याप्त है।

राजस्थान में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख एजेंसी है जिसके द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, स्वावलम्बन योजना, समूहिक विवाह हेतु अनुदान, राज्य महिला आयोग, भामाशाह योजना, जेण्डर संवेदनशील बजटिंग, किशोरी शक्ति योजना, चिराली योजना, वन–स्टॉप सेंटर आदि। इन कार्यक्रमों के लिये बजट का प्रावधान मुख्य शीर्ष "सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" में रखा जाता है।

वर्ष 2018–19 के लिये पारित राज्य के कुल बजट 212274.66 करोड़ रूपये में से महिला एवं बाल विकास के लिये 2325.3 करोड़ रूपये प्रस्तावित किये गये हैं जो कि राज्य के कुल बजट का सिर्फ 1% ही है। पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में यह करीब 442.3 करोड़ रू (23.4%) ज्यादा है। वर्ष 2017–18 के लिये राज्य का कुल बजट 181753.9 करोड़ रू रखा गया था जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिये कुल 1896.98 करोड़ रूपये आवंटित किए गए जो राज्य के कुल बजट का केवल 1% था। वर्ष 2016–17 में महिलाओं के कल्याण के लिय आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1.02% थी, 2015–16 के बजट में राज्य के कुल खर्च का 1.2% भाग महिला कल्याण के लिये खर्च किया गया। यानी साफ है कि पिछले तीन वर्षों से महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को लगातार घटाया जा रहा है।

नीचे दी गई सारणी में महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को दर्शाया गया है।

सारणी 1 : राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये बजट (राशि करोड़ में)

मद	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 बजट अनुमान			2017–18 संशोधित अनुमान			2018–19 बजट अनुमान		
	योग	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधी	केन्द्रीय सहायता	योग
राजस्व व्यय											
2235 –02–103 महिला कल्याण	**11.24**	13.48	28.57	6.19	34.76	19.06	3	22.06	24.25	7.94	32.18
2235 –02–196 जिला स्तर की पंचायतों को सहायता – (02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु	**36.26**	79.86	240.28	9.51	249.8	209.79	7.1	216.89	243.61	4.25	24.86
2236 पोषण	1305.59	1420.8	858.47	645.06	1503.53	874.25	700.23	1574.48	1196.76	791.97	1988.74
राजस्व व्यय का योग	**1353.09**	**1514.1**	**1127.32**	**660.76**	**1788.09**	**1103.1**	**710.33**	**1813.43**	**1464.62**	**804.16**	**2268.78**
पूँजीगत व्यय											
4235 –103 महिला कल्याण	1.6	0.74	1.63	1.7	3.33	0.98	1.7	2.68	4.12	0.0003	4.12
4235 –789 अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				0.3	0.3					0.0002	0.0002
4235 –796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना				0.46	0.46					0.0002	0.0002
4236 पोषण	55.8	38.42	44.92	59.88	104.8	48.9	17.85	66.75	23.94	28.42	52.36
पूँजीगत व्यय का योग	**57.4**	**39.16**	**46.55**	**62.34**	**108.89**	**49.88**	**19.55**	**69.43**	**28.06**	**28.42**	**56.4804**
महायोग	**1410.49**	**1553.3**	**1173.87**	**723.1**	**1896.98**	**1152.98**	**729.88**	**1882.86**	**1492.68**	**832.58**	**2325.26**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार वर्ष 2018–19 में महिला कल्याण के लिये आवंटित राशि को पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 2 करोड़ रू ही बढ़ाया गया है लेकिन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में यह लगभग 12 करोड़ रू घटाया गया है। क्योंकि इस मद में हर साल वास्तविक बजट संशोधित अनुमान से कम होता आ रहा है इसलिये इस वर्ष बढ़ाये गये बजट को संशोधित अनुमान में घटाये जाने की पूर्ण संभावना है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों के बजट को इस वर्ष के बजट अनुमान में 2 करोड़ रू से घटाया गया है। सारणी के अनुसार सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी पोषण के लिये हुयी है जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 414.26 करोड़ रु. बढ़ा है।

इस वर्ष चिराली योजना के लिए प्रावधान 1.5 करोड़ रू से बढ़ाकर 4.6 करोड़ रू कर दिया गया है। राजस्थान में 39 महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र हैं परन्तु हर वर्ष इनके लिए 1.5 करोड़ रूपये से भी कम (प्रति केंद्र) का बजट रखा जाता है। 2005 में पारित हुए घरेलु हिंसा से बचाव अधिनियम के लिए अभी तक कोई बजट नहीं रखा गया है और ना ही इस अधिनियम के तहत कोई सुरक्षा अफसर

शेष पृष्ठ 2 पर....

पृष्ठ 1 का शेष – राज्य में महिलाओं के लिये बजट....

नियुक्त किये गये हैं। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को देखते हुये महिला सुरक्षा के लिये बजट का इतना कम होना दर्शाता है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सरकार की प्रथमिकता में नही है, जो काफी चिंताजनक बात है।

बजट घोषणाओं में 'चाइल्ड केयर लीव' की घोषणा की गयी है। इसमें महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल हेतु अधिकतम 2 वर्ष की छुट्टी का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकताओं को 4730 रूपए के स्थान पर 6000 रूपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3365 रूपए के स्थान पर 4500 रूपए, सहायिका को 2565 के स्थान पर 3500 रूपए, साथिन को 2400 रूपए के स्थान पर 3500 रूपए एवं आशा सहयोगिनी को 1850 रूपए के स्थान पर 2500 रूपए प्रतिमाह का मानदेय देने की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी से 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित होंगी।

राज्य सरकार ने बजट में 15 से 45 आयु वर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सेनेट्टीरी पेड्स उपलब्ध करवाने की घोषणा की है जो कि विद्यालयों/महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप–स्वास्थ्य केन्द्र, अन्नपूर्णा भंडार द्वारा किया जायेगा। इसके लिए 76 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है तथा इसका क्रियान्वयन 4 विभागों – महिला अधिकारिता विभाग, आई.सी.डी.एस, चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। हांलांकि देखा जाये तो लगभग 12 वर्ष की उम्र से किशोरावस्था शुरू हो जाती है परन्तु इस योजना में 12–15 आयु वर्ग की बालिकाओं को नहीं रखा गया है जिससे योजना का उद्देश्य पूरा होना मुश्किल होगा क्योंकि शुरूआती वर्षों में अनदेखी की वजह से स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक तरीके अपनाने की आदत पड़ सकती है जिसे बदलना ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिये इस योजना के तहत 12–50 आयु वर्ग की बालिकाओं एवं महिलाओं को संभावित लाभार्थी रखना चाहिये था।

हांलांकि ग्रामीण महिलाओं के लिये बजट में 1 लाख नए माँ–बाड़ी केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गयी है परन्तु कृषि एवं संम्बन्धित क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के कल्याण के लिये बजट में कुछ नहीं कहा गया है जबकि राजस्थान में महिला जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में 'सेन्ट्रलाइज्ड आक्सिजन सप्लाई' की व्यवस्था करवाने की घोषणा की गई है जो कि पीपीपी मोड पर संचालित होगी और इस पर लगभग 18 करोड रूपए के व्यय का प्रावधान रखा गया है। अब देखना यह है कि बजट की इन चुनावी घोषणाओं को सरकार कहाँ तक पूरा कर पाती है।

राजस्थान में जेण्डर बजट

जेण्डर संवेदी बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सरकार के बजट एवं आयोजना प्रक्रिया को अधिक जेण्डर संवेदी बना कर समाज में महिला–पुरूष समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जेण्डर संवेदी बजट को जेण्डर बजट, महिला बजट, जेण्डर संवेदनशील बजट आदि नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा बजट में सरकार की प्रथमिकताएं तथा सरकारी खर्चों का महिलाओं, पुरूषों, लड़कियों एवं लड़कों पर प्रभाव देखा जा सकता है।

राजस्थान सरकार ने 2012–13 में पहली बार जेण्डर बजट विवरण जारी किया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत के अनुसार निम्न दी गयी सारणी में दर्शायी गयी श्रेणियाँ प्रदान की गई।

सारणी 2: राज्य के जेण्डर बजट विवरण में सरकारी कार्यक्रमों को दिये जाने वाली श्रेणियाँ

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	>70%
B	70-30%
C	30-10%
D	<10%

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

परन्तु सारणी 2 में दर्शायी श्रेणियाँ कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के खर्च मद राजस्व एवं पूंजीगत को अलग अलग दिया जाता है।

राज्य का जेण्डर बजट का विश्लेषण

इस वर्ष के जेण्डर बजट में बीते वर्ष की ही तरह फिर से बजट फाइनलिजेशन कमिटी (बी.एफ.सी) वार सूचना दी गयी है। जेण्डर बजट विवरण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 2018–19 में राज्य के कुल बजट 212274.66 करोड़ रू में से जेण्डर बजट पेश करने वाली बी.एफ.सी का कुल बजट 194858.65 करोड़ रू है जो राज्य के कुल बजट का 91.8 प्रतिशत है। जेण्डर बजट विवरण के अनुसार राज्य के कुल बजट का केवल 28.74 प्रतिशत ही जेण्डर घटक के लिये प्रस्तावित किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 प्रतिशत कम है तथा जेण्डर बजट पेश करने वाली बी. एफ.सी के कुल बजट में जेण्डर घटक 31.3 प्रतिशत है जो कि लगभग पिछले वर्ष के बराबर है। नीचे दी गयी सारणी में राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक दर्शाया गया है।

सारणी 3: राज्य के कुल बजट में जेण्डर बजट पेश करने वाली बी.एफ.सी का कुल बजट (करोड़ रु. में) तथा जेण्डर घटक का प्रतिशत

वर्ष	राज्य का कुल बजट	राज्य के कुल बजट में जेण्डर बजट पेश करने वाली बी.एफ.सी का कुल बजट	राज्य के कुल बजट में जेण्डर बजट पेश करने वाली बी.एफ.सी के कुल बजट का %	जेण्डर घटक	राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का %	जेण्डर बजट पेश करने वाली बी.एफ.सी के कुल बजट में जेण्डर घटक का %
2012–13 (ब.अ.)	76675.22	71908.39	93.78	17554.11	22.89	24.41
2013–14 (ब.अ.)	94871.95	90250.64	95.13	23146.61	24.40	25.65
2014–15 (ब.अ.)	112955.06	107668.4	95.32	28310.26	25.06	26.29
2015–16 (ब.अ.)	137713.38	131565.12	95.54	38651.12	28.07	29.38
2016–17 (ब.अ.)	171260.99	155473.29	90.78	46940.94	27.41	30.19
2017–18 (ब.अ.)	181753.9	169293.17	93.14	52790.19	29.04	31.18
2018–19 (ब.अ.)	212274.66	194858.65	91.80	61003.93	28.74	31.31

स्रोत – राज्य के जेण्डर बजट विवरण 2012–13 से 2018–19 के आधार पर

जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया है कि जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बी.एफ.सी वार दी गयी है जिस कारण योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है तथा उनके राजस्व व पूंजिगत खर्च में दी जाती है। जेण्डर बजट के विश्लेषण में एक बड़ी चुनौती यह भी है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे जेण्डर बजट विवरण में वास्तविक लेखे नहीं दिये जाते। अतः महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उन पर किये जाने वाले खर्च के बारे में इस बजट से कुछ भी समझना मुश्किल है।

सारणी 4 : जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

साल	2017-18				2018-19			
श्रेणी	राजस्व	%	पूंजीगत	%	राजस्व	%	पूंजीगत	%
A	118	14.3	9	2.5	109	12.04	8	1.97
B	457	55.3	268	75.07	547	60.4	307	75.62
C	197	23.8	77	21.5	190	21	86	21.18
D	53	6.4	3	0.8	59	6.52	5	1.23
कुल	**825**	**100**	**357**	**100**	**905**	**100**	**406**	**100**

स्रोत – राज्य का जेण्डर बजट विवरण, 2017–18 एवं 2018–19

जेण्डर बजट विवरण के अनुसार हर वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी 'बी' श्रेणी में सबसे ज्यादा योजनायें/कार्यक्रम हैं। वर्ष 2018–19 में जेण्डर बजट के राजस्व खर्च में 'ए' एवं 'सी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 2% की कमी हुई है जबकि 'बी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 5% की बढ़ोत्तरी हुयी है एवं 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग पिछले वर्ष के बराबर है। पूंजीगत खर्च में 'ए' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में भी मामूली सी कमी हुयी है जबकि बी एवं सी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग पिछले वर्ष के बराबर है। 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 0.4% की बढ़ोत्तरी हुयी है।

राज्य में महिलाओं के बजट के लिये कुछ माँगें :

- राज्य में जेंडर बजटिंग का व्यवस्थित क्रियांवयन नहीं हो रहा है अतः इसमें आवश्यक सुधार किये जायें।
- बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास हेतु सरकार एक नीति बनाकर लागू करे।
- वैश्यावृति छोड़कर इस कार्य से बाहर आने वाली महिलाओं के लिये व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाये तथा इनके बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाये।
- घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी लगाये जायें।
- कृषि एवं संम्बन्धित क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के कल्याण के लिये बजट में प्रावधान रखा जाये।

राज्य में पेंशन योजनाओं हेतु बजट में मामूली बढ़ोत्तरी

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयीं हैं। वर्ष 2018–19 के बजट में 2017–18 की ही तरह प्रतिमाह पेंशन दर लागू की जायेगी। वृद्धजन सम्मान पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को एवं 58 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुरषों को 500 रूपए प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं एवं पुरुषों को 750 रूपए प्रतिमाह की पेंशन राशी प्राप्त होगी। विधवा/एकल महिलाओं को, जिनकी उम्र 18 से 60 के बिच है, उनको 500 रूपए प्रतिमाह एवं जिनकी उम्र 60 से 75 के बिच है, उनको 1000 रूपए प्रतिमाह तथा जिनकी उम्र 75 से अधिक है, उनको 1500 रूपए प्रतिमाह की पेंशन राशि प्राप्त होगी। राज्य के विशेष योग्यजनों को 750 रूपए प्रतिमाह की पेंशन राशी प्राप्त होगी।

वर्ष 2018–19 के लिये पारित हुये राज्य बजट में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने कुल 4137.41 करोड़ की राशि आवंटित की है जो कि राज्य के कुल बजट का लगभग 2 प्रतिशत है तथा वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में आंवटित राशि से 144.07 करोड़ रूपये ज्यादा है तथा इसी वर्ष के संशोधित अनुमान से केवल 29.15 करोड़ रूपए ही ज्यादा है। पिछले पाँच वर्षों में पेंशन योजनाओं में आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

सारणी 1 : पेंशन योजनाओं पर व्यय (राशि करोड़ में)

शीर्ष	लेखा शीर्ष	2014–15 लेखे	2015–16 लेखे	2016–17 लेखे	2017–18 बजट अनुमान	2017–18 संशोधित अनुमान	2018–19 बजट अनुमान
2235–196–(02)	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	2776.9	2683.25	2961.5	3030	2953.67	2965.34
2235–196–(01) –[05,08,11]	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	227.48	202.18	212.67	241.99	251.44	264.01
वृद्धावस्था पेंशन का योगः		**3004.38**	**2885.43**	**3174.17**	**3271.99**	**3205.11**	**3229.35**
2235–196–(03)	मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना	409.5	418.56	436.24	447	545.65	546.94
2235–196–(01) –[06,09,12]	इंदिरा गांधी विधवा पेंशन	39.4	37.11	39.6	46.45	56.33	58.91
विधवा पेंशन का योगः		**448.9**	**455.67**	**475.84**	**493.45**	**601.98**	**605.85**
2235–196–(04)	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	205.5	204.04	211.96	218	292.24	292.84
2235–196–(01) –[07,10,13]	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	7.2	6.69	7.18	9.9	8.93	9.37
विशेष योग्यजन पेंशन का योगः		**212.7**	**210.73**	**219.14**	**227.9**	**301.17**	**302.21**
महायोगः		**3665.98**	**3551.83**	**3869.15**	**3993.34**	**4108.26**	**4137.41**

स्रोत : बार्क द्वारा बजट 2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2018–19 के विश्लेषण पर आधारित

वर्ष 2015–16 के लेखे में पेंशन योजनाओं में 2014–15 के लेखे की तुलना में लगभग 114 करोड़ रूपए की कमी देखी गयी परन्तु उसके बाद हर वर्ष पेंशन के बजट में बढ़ोतरी हुयी है। वर्ष 2017–18 के बजट एवं संशोधित अनुमानों को देखकर पता चलता है कि वृद्धजनों के लिये पेंशन को बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में लगभग 67 करोड़ रूपए से घटा दिया गया है जबकि एकल महिलाओं तथा विशेष योग्यजनों के लिये पेंशन को लगभग 100–100 करोड़ रूपए से बढ़ाया गया है। इस वर्ष मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को गत वर्ष के संशोधित अनुमान में दी गयी राशि के लगभग बराबर ही रखा गया है। इस वर्ष वृद्धावस्था पेंशन के लिये कुल 2965.34 करोड़ रू., विधवा पेंशन के लिये कुल 546.94 करोड़ रू. तथा विशेष योग्यजन पेंशन हेतु कुल 292.84 करोड़ रू. की राशि व्यय हेतु रखी गई है। फरवरी 2018 में लाभार्थीयों की संख्या 63.45 लाख हो गयी है।

राज्य बजट में ग्रामीण विकास की स्थिति

राज्य में ग्रामीण विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याण एवं विकास की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ग्रामीण विकास, राज्य बजट में एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार सालाना बजट आवंटित करती है। इस वर्ष सरकार द्वारा अपने सालाना बजट में ग्रामीण विकास के लिये कुल 16,009.64 करोड़ रू. की राशि के व्यय का अनुमान किया गया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्राम रोजगार, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मद के अंतर्गत राशि आवंटन को शामिल किया गया है।

राज्य बजट में ग्रामीण विकास हेतु आवंटन (राशि करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य बजट	ग्रामीण विकास	प्रतिशत
1	वास्तविक (2012–13)	81263.91	5468.64	6.73 %
2	वास्तविक (2013–14)	94101.08	5785.87	6.15 %
3	वास्तविक (2014–15)	116605.48	11093.02	9.51 %
4	वास्तविक (2015–16)	129736.02	12971.37	10.00 %
5	वास्तविक (2016–17)	139727.68	12004.86	8.58%
6	अनुमानित (2017–18)	166753.90	14322.63	8.59 %
7	संशोधित (2017–18)	175615.12	18826.31	10.72 %
8	अनुमानित (2018–19)	197274.66	16009.64	8.12 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर
नोट : कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

- वर्तमान वर्ष 2018–19 में ग्रामीण विकास हेतु राज्य के कुल बजट का 8.12 प्रतिशत लगभग 16009.43 करोड़ रू. का आवंटन हुआ है।
- वर्ष 2018–19 में ग्रामीण विकास हेतु पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट की तुलना में लगभग 1687.01 करोड़ अधिक तथा 2017–18 संशोधित बजट की तुलना में लगभग 2816. 67 करोड़ कम राशि का आवंटन किया गया है।
- पिछले 5 वर्षों से वर्तमान वर्ष 2018–19 तक ग्रामीण विकास हेतु राज्य बजट की तुलना में लगभग 6 से 11 प्रतिशत राशि है।
- वर्ष 2014–15 में ग्रामीण विकास के बजट में एकाएक वृद्वि होने का कारण अधिक आवंटन नहीं बल्कि केन्द्रीय सहायता की राशि का राज्य के आयोजना बजट में सम्मिलित होना है। जैसे– महानरेगा, इंदिरा आवास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- पिछले वर्ष 2017–18 का संशोधित बजट इसी वर्ष के अुनमानित बजट तथा वर्तमान वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट की तुलना में अत्यधिक आवंटन दर्शाता है, जिसका एक मुख्य कारण वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में एकाएक बढोत्तरी है।
- केन्द्र सरकार ने महानरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिये 01 अप्रेल 2016 से एक नई पद्धति National Electronic Fund Management System (NeFMS) लागू की है। जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष 01 अप्रेल 2016 से महानरेगा में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सीधे केन्द्र से श्रमिकों के खातों में किया जा रहा है जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा अपनी बजट पुस्तिकाओं में उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। यह ध्यातव्य रहे कि इस लेख में महानरेगा के बजट का विश्लेषण केवल सामग्री बजट की जानकारी पर ही आधारित है।

ग्रामीण विकास के बजट का मदवार विवरण (राशि करोड़ में)

वर्ष	आयोजना भिन्न	आयोजना	ग्रामीण विकास का कुल बजट	केन्द्रीय सहायता
अनुमानित (2014–15)	2065.94	12151.71	14217.64	(2049.03)
संशोधित (2014–15)	2150.84	10466.98	12617.83	(5561.93)
वास्तविक (2014–15)	1772.50	9350.57	11123.06	
अनुमानित (2015–16)	2166.32	11131.98	13298.30	(5825.91)
संशोधित (2015–16)	2086.85	12276.39	14363.24	(6130.02)
वास्तविक (2015–16)	2078.43	10892.94	12971.37	
अनुमानित (2016–17)	3031.09	12093.25	15124.34	(5907.30)
संशोधित (2016–17)	3203.36	10439.38	13642.74	(4137.23)
वास्तविक (2016–17)	3201.11	8803.75	12004.86	

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

ग्रामीण विकास के बजट का मदवार विवरण (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	ग्रामीण विकास का कुल बजट
अनुमानित (2017–18)	9632.21	4690.41	14322.63
संशोधित (2017–18)	11792.73	7033.58	18826.31
अनुमानित (2018–19)	8044.35	7965.29	16009.64
प्रतिशत (%)	50.25 %	49.75 %	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर
नोट : पिछले वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार ने बजट पुस्तिकाओं में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद का अलग अलग विवरण देना बंद कर दिया है। इसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा कुल आवंटन में राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

- इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु कुल 16009.64 करोड. रू. का आवंटन किया गया है यह राशि राज्य के कुल बजट का लगभग 8.12 प्रतिशत है। यह राशि पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट से 1687.01 करोड़ अधिक तथा 2017–18 के संशोधित बजट से 2816.67 करोड़ रू. कम है।
- इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु कुल अनुमानित बजट में से 50.25 प्रतिशत (लगभग 8044.35 करोड़ रु.) राज्य सरकार द्वारा तथा 49.75 प्रतिशत (लगभग 7965.29 करोड़ रु.) केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किये जाने प्रस्तावित हैं।
- वर्तमान वर्ष में केन्द्रीय सहायता अंतर्गत पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमान की तुलना में 3004.88 करोड़ तथा संशोधित बजट की तुलना में 931.74 करोड़ रू. अधिक राशि का आवंटन किया गया है।
- वर्तमान वर्ष में राज्य निधि अंतर्गत पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमान की तुलना में 1591.86 करोड़ तथा संशोधित बजट की तुलना में 3748.38 करोड़ रू. कम राशि का आवंटन किया गया है।

पिछले वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन (राशि करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2016–17 वास्तविक	2017–18 अनुमानित	2017–18 संशोधित	2018–19 अनुमानित	प्रतिशत %
1	**2501**	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**834.90**	**1058.59**	**1181.91**	**1310.92**	**8.19 %**
1.1		मरूस्थल विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0..00	0.00	
1.2		बंजर भूमि विकास (राज्यांश)	752.31	892.13	911.23	910.85	
1.3		स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)	82.58	166.45	270.67	400.07	
2	**2505**	ग्राम रोजगार	**2717.42**	**3193.35**	**7441.97**	**3412.83**	**21.32 %**
2.1		राष्ट्रीय कार्यक्रम	932.55	1198.60	5507.22	1328.64	
2.2		महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना	1774.67	1994.75	1934.75	2084.19	
		अन्य कार्यक्रम	10.50	0.00	0.00	0.00	
3	**2515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	**7587.19**	**9057.69**	**9127.96**	**10245.81**	**64.00 %**
4	**2575**	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम	**1.36**	**2.19**	**2.37**	**2.78**	**0.02 %**
4.1		पिछड़े क्षेत्र (मेवात, डांग)	0.91	1.69	1.87	2.28	
4.2		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.45	0.50	.50	0.50	
5	**4515**	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत व्यय	**547.13**	**568.00**	**653.40**	**597.00**	**3.73 %**
6	**4575**	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय	**316.55**	**442.81**	**418.73**	**440.30**	**2.75 %**
6.1		डांग जिले	47.26	49.41	49.41	49.28	
6.2		पिछड़े क्षेत्र	132.93	233.90	171.39	198.19	
6.3		सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)	136.36	159.5	197.98	192.83	
योग			**12004.84**	**14322.63**	**18826.34**	**16009.64**	**100 %**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

- वर्तमान वर्ष में ग्रामीण विकास के लिये कुल 16009.64 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, यह राशि राज्य के कुल बजट का लगभग 8.12 प्रतिशत है।
- इस वर्ष ग्रामीण विकास के अंतर्गत सर्वाधिक राशि अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय (दोनों को जोड़कर) के अंतर्गत जारी की गई है जो कुल ग्रामीण विकास के बजट का 67.73 प्रतिशत, लगभग 10842.81 करोड़ रू. है।
- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायतों को निर्बन्ध राशि, ग्रामीण बीपीएल आवास, टी.एस.पी., पिछड़ा जिला विकास कोष, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, जिला नवाचार कोष एवं मध्यान्ह भोजन को सम्मिलित किया गया है।
- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष के अंतर्गत पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ग्राम विकास, अनुसूचित जातियों की विशिष्ट योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना को शामिल किया गया है।
- ग्राम रोजगार मद के अंतर्गत कुल आवंटन का 21.32 प्रतिशत, लगभग 3412..83 करोड़ की राशि का आवंटन हुआ है, महानरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बड़ी योजनाओं की राशि भी इस मद में शामिल है।
- अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम तथा अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय (दोनों को जोड़कर) के अंतर्गत सबसे कम कुल 2.77 प्रतिशत, लगभग 443.08 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है जिसमें डांग जिले, पिछड़े जिले एवं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्मिलित हैं।
- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ग्रामीण बजट की 8.19 प्रतिशत, लगभग 1310.92 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है जिसमें बंजर भूमि विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु राज्य खर्च की राशि सम्मिलित है।
- पिछले कुछ वर्षों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च कुल आवंटित राशि की तुलना में बहुत कम हो रहा है।

महानरेगा की राज्य में स्थिति (राशि करोड़ में)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (केवल राज्यांश)								
महानरेगा	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित	2015–16 संशोधित	2016–17 संशोधित	2017–18 संशोधित	2018–19 अनुमानित
राशि	200.00	266.00	388.50	349.86	361.00	313.58	434.75	434.18

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

राज्य एवं केन्द्र का संयुक्त राशि आवंटन (राशि करोड़ में)

	2014–15 संशोधित	2015–16 संशोधित	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमानित	2017–18 संशोधित	2018–19 अनुमानित
कुल	3849.86	3809.95	1825.85	1994.75	1934.75	2084.18
केन्द्रीयांश	3500.00	3448.95				

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

- वर्तमान वर्ष में महानरेगा के लिये कुल 2084.18 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है लेकिन यह केवल महानरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में प्रस्तावित राशि की जानकारी है। इस लेख के प्रारम्भ में बताया गया है कि महानरेगा में श्रमिक भुगतान सीधे केन्द्र से किया जा रहा है। इसलिये वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट, 2017–18 के संशोधित बजट तथा 2018–19 अनुमानित बजट में महानरेगा के कुल आवंटन में श्रमिक भुगतान की राशि सम्मिलित नहीं है।

शेष पृष्ठ संख्या 4 पर

पृष्ठ 3 का शेष – राज्य बजट में ग्रामीण विकास की स्थिति

- उपरोक्त तालिका के अध्ययन से महानरेगा योजना पर राज्य सरकार के खर्च को भी समझा जा सकता है। यदि देखा जाये तो वर्तमन वर्ष 2018–19 में, वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट की तुलना में 120.60 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 57 लाख रू. की कटौती की गई है। यहां केवल जानकारी के लिये बताया जा रहा है कि राज्य सरकार, महानरेगा के कुल सामग्री बजट में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान करती है।
- राज्य एवं केन्द्र के बजट में महानरेगा हेतु सामग्री आवंटन में पिछले तीन वर्षों में लगातार वृद्धि दिखाई देती है। वर्ष 2018–19 में पिछले वर्ष 2017–18 के अनुमान की तुलना में लगभग 90 करोड़ तथा संशोधित की तुलना में लगभग 150 करोड़ की अधिक राशि का आवंटन सामग्री मद में किया गया है। उपरोक्त राज्यांश में बढोत्तरी के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि महानरेगा के लिये कुल आवंटित बजट में भी लगभग इसी अनुपात में बढ़ोतरी की गई होगी।

महानरेगा योजना की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 जनवरी तक
1	जॉब कार्डधारी परिवार (लाख में)	98.46	99.36	95.24	94.89
2	कार्य पर नियोजित परिवार (लाख में)	36.87	42.21	46.35	39.02
3	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	1686.19	2341.34	2596.84	1663.94
4	महिलाओं के मानव दिवस (लाख में)	1150.97	1616.06	1740.61	1081.42
5	100 दिवस कार्य वाले परिवार (लाख में)	2.81	4.69	4.27	0.31
6	औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार	46	55	56	43
7	औसत श्रमिक दर रू. प्रति मानव दिवस	115	120	126	145
8	कार्य पूर्णता का प्रतिशत	96.22 %	63.83 %	13.02 %	2.75 %

स्रोत – महानरेगा की बेबसाईट के आधार पर

- वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक वर्ष दर वर्ष महानरेगा की भौतिक प्रगति में कमी देखने में आई है।
- कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में 46.35 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 39.02 लाख हो गई है।
- वर्ष 2017–18 में 100 दिवस कार्य करने वाले परिवारों की संख्या भी पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में 1740.61 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 1081.32 लाख रह गई है।
- महिलाओं के मानव दिवसों की संख्या में पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना भारी गिरावट हुई है, यह पिछले वर्ष के 44.27 लाख से घटकर वर्तमान वर्ष में 0.31 लाख रह गई है।
- वर्तमान वर्ष में औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 56 से घटकर 43 तक पहुंच गई है।
- महानरेगा में कार्यपूर्णता का प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 96.22 प्रतिशत, 2015–16 में 63.83 प्रतिशत, वर्ष 2016–17 में 13.02 प्रतिशत तथा वर्तमान में और घटकर केवल 2.75 प्रतिशत तक ही रह गया है।

उपरोक्त आलेख के आधार पर ग्रामीण विकास हेतु कुल बजट आवंटन को मुख्य शीर्ष वार तथा योजनावार आधार पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में महानरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना हेतु आवंटन तथा उसकी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति को समझा जा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट

खनन से प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों के विकास एवं कल्याण के उद्देश्य से 2015 में संशोधित खान एवं खनिज (विकास तथा व्यवस्थापन) अधिनियम, 1957 के तहत हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डी. एम. एफ. टी.) का गठन करने का निश्चय किया गया। अप्रधान खनिजों के खनन से प्राप्त रॉयल्टी का 10 फीसदी हिस्सा तथा प्रधान खनिजों के खनन से प्राप्त रॉयल्टी का 30 फीसदी हिस्सा खान एवं खनिज (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में अंशदान) नियमावली, 2015 के अनुसार, डी एम एफ टी में जमा करने का प्रावधान है। नियमावली के अनुसार फण्ड की उपलब्धता के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को लाभांवित करने वाले कार्य किये जायेंगे, ताकि ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध हो सके और वे अपने जीवन स्तर को उंचा उठा सके। प्रभावित क्षेत्रों से आये प्रस्तावों को जिला स्तर पर डी. एम. एफ. टी. के प्रबंध परिषद द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। डी. एम. एफ. टी. में सरकारी अफसरों, ज़िले के सभी विधायकों, खान अभियंताओं के साथ 2 खान मजदूरों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को भी ट्रस्ट का सदस्य बनाने का प्रावधान है।

डी. एम. एफ. टी. के तहत प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। इसके लिए वर्ष 2018–19 के बजट में 1000 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। इस राशी का खर्च खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, विद्यालयों में कक्षाओं के निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च किया जायेगा।

डी. एम. एफ. टी. में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसके क्रियानवयन के लिये 31 मार्च 2016 को पारित नियमावली में कहीं पर भी लोगों को निर्णय लेने की / योजना निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। जबकी ये खनन प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों के विकास एवं कल्याण के उद्देश्य से बनाये गये हैं।

संपादक	–	नेसार अहमद
संपादक मण्डल	–	महेन्द्र सिंह राव
	–	भूपेन्द्र कौशिक
	–	बरखा माथुर
	–	मौलीश्री धस्माना
	–	पीयूष शर्मा
सहयोग	–	अंकुश वर्मा
	–	भीमसिंह मीणा
सलाहकार	–	डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005

फोन / फैक्स : (0141) 238 5254

E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

पृष्ठ 1 का शेष – राज्य में जलापूर्ति एवं सफाई...

जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित कुल बजट (राशि करोड़ में)

वर्ष	जलापूर्ति	सफाई	कुल
2012–13 (वास्तविक)	2718.00	215.80	2933.79
2013–14 (वास्तविक)	4353.34	246.33	4599.67
2014–15 (वास्तविक)	6324.52	241.02	6565.54
2015–16 (वास्तविक)	6524.59	259.77	6784.42
2016–17 (वास्तविक)	6499.03	319.84	6818.87
2017–18 (अनुमानित)	8298.04	349.17	8647.21
2017–18 (संशोधित)	7776.51	331.60	8108.12
2018–19 (अनुमानित)	8313.55	358.12	8671.66
प्रतिशत (%)	95.87 %	4.13 %	100 5

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से राज्य सरकार द्वारा जलापूर्ति एवं सफाई मद में आवंटित कुल राशि को अलग–अलग करके समझा जा सकता है। वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु कुल 8671.66 करोड़ का आवंटन किया गया है, यह आवंटन पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। इस आवंटन में से 8313.55 करोड़, लगभग 95.87 प्रतिशत जलापूर्ति तथा 3358.12 करोड, लगभग 4.13 प्रतिशत सफाई हेतु आवंटित किय गया है। पिछले वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.21 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था, जिसमें से लगभग 96 प्रतिशत, लगभग 8298.04 करोड़ रू. जलापूर्ति तथा 349.17 करोड, लगभग 4 प्रतिशत सफाई मद में आवंटित किये गये थे। यदि देखा जाये तो जलापूर्ति हेतु पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष केवल 15 करोड़ तथा सफाई के लिये केवल 9 करोड़ रू. अधिक का ही आवंटन किया गया है।

वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति बजट का वितरण (राशि करोड़ में)

मद	कुल बजट	प्रतिशत
शहरी जलापूर्ति	2283.81	27.47 %
ग्रामीण जलापूर्ति	4263.46	51.28 %
अनुसूचित जाति उपयोजना	1011.54	12.17 %
जनजाति उपयोजना	753.47	9.06 %
प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय	1.77	0.02 %
अन्य ह्रास	-50	-0.60 %
कुल	8313.55	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है, वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.19 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, जिसमें से लगभग 95.87 प्रतिशत राशि का व्यय जलापूर्ति पर होना प्रस्तावित है। वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति हेतु कुल 8313.55 करोड रू. का आवंटन किया हुआ है, जिसमें से सर्वाधिक आवंटन ग्रामीण जलापूर्ति हेतु 4263.46 करोड़, लगभग 51.28 प्रतिशत तथा शहरी जलापूर्ति के लिए 2283.81 करोड़, लगभग 27.47 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही जलापूर्ति हेतु कुल आवंटित राशि में से लगभग 12.17 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना तथा 9.06 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना में खर्च होनी प्रस्तावित है।

वर्ष 2018–19 में मल जल तथा सफाई बजट का वितरण (राशि करोड़ में)

मद	कुल बजट	प्रतिशत
निदेशन प्रशासन	347.21	96.95 %
सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल	2.33	0.65 %
मल जल सेवाएं	1.93	0.54 %
नगर पालिका / परिषद को सहायता	6.60	1.84 %
कुल	358.12	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान वर्ष 2018–19 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल 8647.19 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, जिसमें से केवल 4.13 प्रतिशत राशि का व्यय सफाई पर होना प्रस्तावित है। वर्ष 2018–19 में सफाई हेतु कुल 358.12 करोड रू. का आवंटन हुआ है, जिसमें से सर्वाधिक 96.95 प्रतिशत, लगभग 347.21 करोड़ रू. निदेशन एवं प्रशासन मद में खर्च होने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही सफाई हेतु आवंटित कुल राशि में से केवल 3 प्रतिशत राशि से सर्वेक्षण, जांच पड़ताल, मल–जल सेवाओं का सुधार तथा नगर पालिका एवं परिषदों को सहायता देने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट को चुनावी जामा पहनाते हुए, जलापूर्ति एवं सफाई सहित लगभग सभी क्षेत्रों में बड़ी–बड़ी बजट घोषणाएं तो की हैं लेकिन अब देखना यह है कि उन घोषणाओं का कियान्वयन कितना प्रभावी तथा समय पर हो सकेगा।

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान / श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड .....